कियोस्क धारक द्वारा भरा जावे

टोकन नम्बर (16 अंको का) ....

आवासीय भूमि का पट्टा का आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच
ग्राम पंचायत ....
पंचायत समिति ....
जिला ....

विषय :– नियम 157 (1) के तहत् पुराने गृहो का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने बाबत्

उपरोक्त विषान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी .... पिता श्री .... जाति .... निवासी .... राजस्व ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला .... का निवासी हूँ। मेरा मकान राजस्व ग्राम .... के खसरा नम्बर .... किस्म भूमि आबादी मे स्थित है। जिसमें गत 50 वर्षों से अधिक/50 वर्ष के दौरान स्वयं/मेरे परिवार द्वारा मकान का निर्माण कर निवास किया जा रहा है, जिसका मेरे या मेरे परिवार के पास स्वामित्व का कोई राजकीय दस्तावेज नही है। मेरे मकान के पड़ौस एवं माप निम्नानुसार है :–

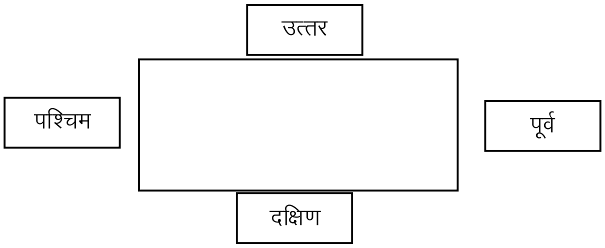

पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –
स्थल का क्षैत्रफल .... वर्गफिट ....

अतः प्रार्थना है कि मुझे उक्त मकान का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करावें।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठा निशान
नामः ....
पिता/पतिः ....

संलग्न दस्तावेजः

1. निवास का प्रमाण–पत्र
2. मकान का फोटो
3. पटवारी रिपोर्ट
4. सहमती (परिवार के समस्त सदस्य)
5. पुराने मकान के प्रमाण स्वरूप दो मौतबिरान के गवाह पत्र।

दिनांक :

कियोस्क धारक द्वारा भरा जावे

टोकन नम्बर (16 अंको का) ....

आज्ञाओं की सूची

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला .... वर्ष..................

क्र. सं.	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1		प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आज दिनांक .... को प्राप्त हुआ सरपंच सा. के आदेशानुसार प्रार्थना पत्र दर्ज इन्तजामी रजिस्ट्रर कर आगामी कोरम दिनांक .... को मिसल पेश हो।
2		मिसल कोरम दिनांक .... को प्रस्तुत हुई कोरम समक्ष प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पढ़कर सुनाया गया एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। कोरम द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया की प्रार्थी के मकान का वार्ड पंच 1 श्री .... 2. श्री .... 3. श्री .... की कमेटी द्वारा मौका निरिक्षण रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह में प्रस्तुत की जावे। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सात दिवस की अवधि का आपत्ति पत्र जारी किया जावें। मिसल आगामी कोरम दिनांक .... को आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो।
3		मिसल कोरम दिनांक .... को प्रस्तुत हुई। कोरम समक्ष वार्ड पंचों द्वारा तैयार की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई दिनांक .... को आपत्ति पत्र जारी किया गया, आज दिनांक तक कोई आपत्ति लिखित में प्राप्त नही हुई कोरम द्वारा सभी दस्तावेजों का निरीक्षण व सत्यापन करने के बाद निर्णय किया गया कि प्रार्थी का मकान नियम लागू होने (अधिसूचना क्रमांक 135 दिनांक 11.02.2013 के अनुसार) के 50 वर्ष पूर्व या 50 वर्ष के दौरान बना हुआ पाया गया । मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के मकान के पड़ौस एवं माप निम्नानुसार है। उत्तर दिशा :– दक्षिण दिशा :– पूर्व दिशा :– पश्चिम दिशा :– लम्बाई .... चौड़ाई .... होकर कुल क्षेत्रफल .... वर्गफिट है। जिसका पंचायती राज नियम 157(1) के तहत् नियमानुसार पट्‌टा शुल्क 100 / 200 / रूपये जमा होने पर पट्टा जारी करने का सर्व सम्मति से निर्णय किया गया। पत्रावली फैसल की गई।